रजिस्ट्री सं. डी एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 348] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 1994/श्रावण 25, 1916
No. 348] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 1994/SRAVANA 25, 1916

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1994

सा.का.नि. 644 (अ) :— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कोचिन पत्तन न्यास कर्मचारी (अस्थायी सेवा) प्रथम संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम का संशोधन करने के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बशर्ते पर बनाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 124 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रकार उसी का प्रकाशन किया जाता है ।

कोचिन पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 का संशोधन

1. (क) इन विनियमों का नाम कोचिन पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) प्रथम संशोधन विनियम, 1994 है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार की अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से ये प्रवृत्त होंगे ।

2. कोचिन पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 में इसके आगे उक्त विनियम कहा जाएगा ।

(क) विनियम 2 के उप-विनियम (4) एवं (5) और विनियम 3 एवं 4 काट दिया जाए । (ख) विनियम 5

के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

5. अस्थायी सेवा की समाप्ति ।

1. (क) कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित सूचना देने पर एक अस्थायी कर्मचारी की सेवा किसी भी समय पर समाप्त कर सकता है ।

(ख) ऐसी सूचना की अवधि एक महीना होगी, बशर्ते कि कोई ऐसी कर्मचारी की सेवा तुरन्त समाप्त होती है और ऐसी समाप्ति पर, सूचना की अवधि के लिए, अपनी सेवा की समाप्ति के पहले की दर, मामला जो भी हो, कर्मचारी अपना वेतन एवं भत्ताओं की राशि से समान राशि का दावा करने के लिए, जब सूचना की अवधि एक महीने से कम पड़ी है, हकदार होगा ।

टिप्पणी : खण्ड (क) के अन्तर्गत ऐसी कर्मचारी को सूचना देते समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया स्वीकार की जाएगी :–

(i) सूचना कर्मचारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से ही प्रदान की जाएगी ।

(ii) व्यक्तिगत सेवा प्रायोगिक नहीं है तो ऐसे कर्मचारी को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त पते में सूचना भेज दी जाए,

(iii) पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई सूचना वापस आती है तो यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से यह उस कर्मचारी को दिया गया समझेगा ।

2. (क) जब एक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक कर्मचारी की अस्थायी सेवा समाप्त होने की सूचना दी जाती है, या ऐसी सूचना की अवधि समाप्त होते ही ऐसी कर्मचारी की सेवा जब समाप्त करती है या कर्मचारी के वेतन और भत्ते की अदायगी के तुरन्त इस नाते बोर्ड या बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य किसी प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, यदि प्राधिकारी उसके अधीनस्थ अपनी तरीके से या अन्य किसी प्रकार मामला फिर खुला सकता है और जांच करने के बाद, यदि उचित समझा जाये तो :

1. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि करें ;

2. नोटिस वापस लें,

3. कर्मचारी को सेवा में पुनः स्थापित करें, या

4. मामले पर अन्य किसी आदेश दें जो उचित हो ।

बशर्ते परिस्थितियों को छोड़कर, जो लिखित रूप में रिकार्ड करना है तीन महीने की समाप्ति के बाद इस उप-नियम के अन्तर्गत किसी भी मामले पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा ।

(i) सूचना दी गई मामले पर, सूचना की तिथि से ;

(ii) सूचना नहीं दी गई मामले पर, सेवा की समाप्ति की तिथि से ।

(ख) उप-विनियम 2 के अन्तर्गत जब एक कर्मचारी को सेवा में पुनःस्थापित किया जाता है, पुनः स्थापना के आदेश में यह निर्धारित किया जाएगा :–

(i) कर्मचारी की सेवा की समाप्ति की तारीख एवं सेवा में पुनःस्थापना की तारीख के नीचे उनकी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कर्मचारी को दिये जाने वाले वेतन भत्ते की राशि, यदि कोई हो और

"(II) किसी निर्धारित उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए उक्त अवधि ड्यूटी की अवधि ही समझा जाएगा या नहीं ।"

(ii) उक्त विनियमों में,

(क) विनियम 6, 7, 8 एवं 9 काट दिया जाये ।

(ख) ये शब्द "जो स्थायित्व सेवा में नहीं है" जो विनियम 10 में दिखाया है, काट दिया जाया ।

(ग) विनियम II के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :–

(i) स्थायी कर्मचारियों को देय सेवान्त उपदाने

(i) उप-विनियम 1 (ख) की व्यवस्थाओं के अनुसार एक अस्थायी कर्मचारी जो निवृत्तन पर सेवानिवृत्त होना है या सेवा से मुक्त किया जाता है या आगे सेवा के लिए अमान्यकृत घोषित किया जाता है तो नीचे के अनुसार उपदान के लिए हकदार होगा :–

(क) उसकी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के आधार भाग उपदान के रूप में मिलने के लिए वह योग्य होगा, बशर्ते कि सेवा निवृत्ति, सेवा मुक्ति या अमान्यकरण के समय पर उसने कम से कम पांच वर्षों की लगातार सेवा पूरा किया हो ।

(ख) सेवा निवृत्ति, सेवा मुक्ति या अमान्यकरण के समय पर जब एक कर्मचारी ने कम से कम दस वर्षों की लगातार सेवा पूरा किया हो तो उसकी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के रूप में अधिकतम 15 महीने के वेतन या पन्द्रह हजार रुपये, जो कम हो, के लिए हकदार होगा,

बशर्ते कि इस उप-नियम के अधीन देय सेवान्त उपदान यदि कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के सदस्य है तो, भविष्य निधि में बोर्ड के अनुरूप योजी अंशदान के रूप में कर्मचारी को मिलाये जाने की राशि से कम नहीं होना है, जो अपने लगातार सेवा शुरु होने के तारीख से, यही शर्त पर कि अनुरूपयेजी अंशदान अपने वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो ।

1. (क) एक अस्थायी कर्मचारी एक अनुशासनिक कार्यवाही के रुप में अनिवार्य रुप से सेवा निवृत्त होता है, तो, उनको देय उपदान का दर उप-विनियम (1) खण्ड (क) या, मामला जो भी हो, खण्ड (ख) में निर्धारित दर के 2/3 से कम नहीं होना है, यही संशोधन के अनुसार उप-विनियम (1) की व्यवस्थायें लागू होंगी ।

1. (ख) एक अस्थायी कर्मचारी जो अधिवर्षिता की आयु पर सेवा निवृत्त होता है या बोर्ड के अधीन आगे सेवा करने के लिए स्थिर रुप से उनकी अक्षमता एक उचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाता है, जो उनकी लगातार दस वर्ष की सेवा के बाद हो, या बीस वर्ष की समाप्ति पर तीन महीने पहले की सूचना द्वारा लिखित रुप से जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगता है, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के उपबन्धों के अनुसार उप-विनियम (1) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

(i) ऐसे कर्मचारी, अधिवर्षिता, अमान्यकरण, या सेवा निवृत्त पेंशन मामला जो भी हो, और सेवा-निवृत्त उपदान के लिए हकदार होंगे और

(ii) सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु होती है तो, परिवार पेंशन के लिए उनके परिवार सदस्य हकदार होंगे ।

(2) सेवा में रहते समय एक अस्थायी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार, सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के अन्तर्गत स्थायी कर्मचारियों को लागू होने वाले समतुल्य उपबन्धों के अधीन समतुल्य वेतनमान के रुप में परिवार पेंशन एवं मृत्यु उपदान के लिए हकदार होंगे ।

(3) (क) विनियम के अन्तर्गत कोई उपदान स्वीकार्य नहीं है, जब एक कर्मचारी

(क) एक आनुशासनिक कार्रवाई,
के रुप में अपने पद से इस्तीफा देता है या पद से निष्कासित होता है या पदच्युत होता है,

(ख) अधिवर्षिता या सेवा निवृत्त पेंशन पर सेवा निवृत्त के बाद पुनर्नियोजन होता है ।

बशर्ते कि अपनी सेवा से इस्तीफा की गई एक अस्थायी कर्मचारी पहली अनुमति से सरकार द्वारा पूर्ण या पर्याप्त रूप से स्वामित्व या नियंत्रित एक कार्पोरेशन या कंपनी के अधीन एक नियुक्ति स्वीकार करता है तो बोर्ड के अधीन उनकी गत सेवा के लिए उप-विनियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित दर के अनुसार अन्तिम उपदान दिया जाएगा ।

आगे बशर्ते कि एक अस्थायी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से एक केन्द्रीय स्वायत्त निकाय में नियुक्त होता है तो तो स्वायत्त निकाय के अधीन पेन्शन के उद्देश्य के लिए, यदि इसमें पेंशन योजना है, प्रथम उपबन्ध के अन्तर्गत अन्तिम उपदान लेने के बजाय बोर्ड के अधीन अपनी सेवा की गणना के लिए, को विकल्प होगा ।

स्पष्टीकरण :— इस उप-विनियम के उद्देश्य के लिए—

(i) "केन्द्रीय स्वायत्त निकाय" का अर्थ है एक निकाय जो पूर्ण रुप से या पर्याप्त रुप से केन्द्रीय सरकारी अनुदानों से वित्त पोषित है जिससे एक केन्द्रीय कानूनी निकाय या केन्द्रीय विश्वविद्यालय शामिल है लेकिन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के ब्यूरो के क्षेत्र में नही है,

(ii) "पर्याप्त रुप से वित्त पोषित" का अर्थ है खर्च का 50% से अधिक केन्द्रीय सरकारी अनुदानों से मिलता है ।

(4) सी.सी.एस. पेंशन नियम, 1972 के नियम 54 के अन्तर्गत नहीं आने वाले एक कर्मचारी को इस उप-विनियम के अन्तर्गत उपदान मिलना है तो, अन्य कोई उपदान या पेंशन सुविधायें नहीं दी जाएगी ।

5. इस विनियम के उद्देश्य के लिए :—

(क) कर्मचारी की सेवा निवृत्ति या, मृत्यु की तारीख के तुरन्त पहले उसको मिले वेतन के अनुसार उपदान सम्बन्धित परिकलन किया जाएगा ।

(ख) "वेतन" का अर्थ पेन्शन के परिकलन के लिए गणित वेतन होगा ।

(ग) समय-समय पर संशोधित सी.सी.एस. (पेन्शन) नियम, 1972 के नियम 21 के अन्तर्गत पेंशन एवं सेवा निवृत्ति उपदान, मृत्यु उपदान की गणना के उद्देश्य के लिए विचार करने के समतुल्य आधार पर पूर्ण की गई सेवा संगणित करने के लिए कर्मचारी द्वारा लिये गए असाधारण छुट्टी यदि कोई हो, पर भी ध्यान दिया जाएगा; और

अर्जित छुट्टी जो 120 दिनों से अधिक न हो, की अवधि के दौरान या सेवा निवृत्ति के तारीख को समाप्त अर्जित छुट्टी, जो 120 दिनों से अधिक हो, के प्रथम 120 दिनों के दौरान, जो वास्तविक रुप से नहीं लिया गया है, अन्तिम मृत्यु उपदान के परिकलन के उद्देश्य के लिए, वेतन का भाग होगा",

(4) उक्त विनियमों में, विनियम 12 काट दिया जाए ।

[फा.सं. पी. आर-12016/29/94-पी.ई.-1]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल्य विनियम भारत सरकार के राजपत्र में सा.का.नि. सं.311 (अ) दिनांक 29-02-1964 को प्रकाशित हुए ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 16th August, 1994

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees (Temporary Services) 1st Amendment Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the Port of Cochin and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notificaion in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) the Cochin Port Trust hereby makes the following regulation to amend the C.P.E. (Temporary Service) Regulations 1964, subject to the approval of the Central Government and the same is published herein as required under Section 124 of the said Act.

AMENDMENTS TO THE COCHIN PORT EMPLOYEES (TEMPORARY SERVICE) REGULATIONS, 1964.

I. (a) These Regulations may be called "The Cochin Port Employees (Temporary Service) 1st Amendment Regulations, 1994".

(b) They shall come into effect from the date on which Central Government's approval thereto is published in the Official Gazette.

II. (a) In the Cochin Port Employees (Temporary Service) Regulations, 1964, hereinafter called the said Regulations,

(a) Sub-Regulations, (iv) and (v) of Regulation 2, and Regulations 3 and 4 shall be deleted.

(b) for Regulation 5, the following Regulation shall be substituted, namely :—

5. Termination of Temporary Service.

(1) (a) the services of a temporary employee shall be liable to termination at any time by a notice in writing given either by the employee to the appointing authority or by the appointing authority to the employee;

(b) the period of such notice shall be one month; Provided that the service of any such employee may be terminated forthwith and on such termination the employee shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his services or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

NOTE : The following procedure shall be adopted by the Appointing Authority while serving notice on such employee under Clause (a) :—

(i) The notice shall be delivered or tendered to the employee in person.

(ii) Where personal service is not practicable, the notice shall be served on such employee by registered post with acknowledgement due at the address of the employee available with the appointing authority.

(iii) If the notice sent by Registered post is returned unserved, it shall be published in the Official Gazettte and upon such publication, it shall be deemed to have been personally served on such employee on the date it was published in the Official Gazette.

2. (a) Where a notice is given by the Appointing Authority terminating services of temporary employee, or where the services of such employees is terminated either on the expiry of the period of such notice or forthwith by payment of pay plus allowance, the Board or any other authority specified by the Board in this behalf or a Head of Department, if the authority is subordinate to him, may, of its own motion or otherwise, re-open the case, and after making such enquiry as it deems fit,—

(i) Confirm the action taken by the Appointing Authority;

(ii) Withdraw the notice.

(iii) re-instate the employee in service, or

(iv) make such other order in the case as it may consider proper.

(1-B) In the case of a temporary employee who retires from service on attaining the age of superannuation or on his being declared to be permanently incapacitated for further service under the Board by the appropriate medical authority, after he has rendered temporary service of not less than ten years or who has sought Voluntary retirement by giving three months' notice in writing on completion of 20 years, provisions of the Sub-Regulation (1) shall not apply and in accordance with the provisions of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(i) Such an employee shall be eligible for the grant of superannuation, invalid, or retiring pension, as the case may be, and retirement gratuity; and

(ii) in the event of his death after retirement, the members of his family shall be eligible for the grant of family pension.

(2) In the event of death of a temporary employee while in service, his family shall be

eligible for family pension and death gratuity at the same scale and under the same provisions as are applicable to permanent employees under the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.

(3) No gratuity shall be admissible under this Regulation to an employee—

(a) who resigns his post or who is removed or dismissed from service as a disciplinary measure.

(b) who is re-employed after retirement on superannuation or retiring pension.

Provided that a temporary employee who resigned from service to take up, with prior permission, an appointment under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Government or in or under a Body controlled or financed by Government shall be paid terminal gratuity at the rate prescribed under Sub-regulation (1) in respect of service rendered by him under the Board.

Provided further that a temporary employee who has been absorbed in a Central Autonomous Body, with the permission of the competent authority, shall have an option to count the service rendered under the Board, for the purpose of pension under the Autonomous Body if it has a pension scheme, instead of drawing the terminal gratuity under the first proviso.

Explanation :—For the purpose of this Sub-Regulation—

(i) "Central Autonomous Body" means a body which is financed wholly or substantially from cess or Central Government grants and includes a Central Statutory Body or a Central University but does not include a Public Undertaking falling under purview of the Bureau of Public Enterprises;

(ii) "financed substantially" means that more than 50 per cent of the expenditure is met by Cess or Central Government grants.

(4) Where gratuity under this sub-regulation is paid in respect of an employee who is not covered by Rule 54 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972, no other gratuity or pensionary benefit is payable.

5. For the purpose of this regulation,—

(a) Gratuity shall be calculated on the basis of pay which the employee was receiving immediately before his retirement or on the date of his death.

(b) "pay" shall mean—pay reckoned for calculation of pension.

(c) Period of extraordinary leave, if any, availed by the employee concerned shall be taken into account for computing completed service on the same basis as it is taken into account for the purpose of calculation of pension and retirement gratuity|death gratuity under Rule 21 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972, as amended from time to time, and be deleted.

(d) an increment earned during the currency of earned leave not exceeding 120 days or during the first 120 days of earned leave exceeding 120 days expiring on the date of retirement, though not actually drawn, shall form part of the pay for the purposes of calculating terminal|death gratuity".

IV. In the said Regulations, Regulation 12 shall be deleted.

[No. PR-12016|29|94-P.E.I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

FOOT NOTE.—PRINCIPAL REGULATIONS were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 311(E) dated the 29th February, 1964.

1890 GI|94—2.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri. New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995